कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

फोन नं0—05944—240071
ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांकः न—3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2020

दिनांक सितम्बर 25, 2020

स्वामी/प्रबन्धक
मै0 फोनिक्स पब्लिक स्कूल
आजाद नगर दरऊ किच्छा
ऊधम सिंह नगर।

विषय :— **अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं0—50066279 दिनांक 14—09—2020 के अनुसार मै0 फोनिक्स पब्लिक स्कूल आजाद नगर दरऊ किच्छा उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रूद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रूदपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा निर्धारित टैस्टिंग फीस राजकोष में जमा करा दी गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि मानक के अनुसार संस्थान में 90 दिवस के भीतर टैरेस टैंक क्षमता 10,000 लीटर, टैरेस पम्प क्षमता 450 लीटर प्रति मिनट मानकानुसार प्रत्येक तल पर होजरील प्रणाली का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै0 फोनिक्स पब्लिक स्कूल आजाद नगर दरऊ किच्छा ऊधम सिंह नगर द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाऐं सुनिश्चित किए जाने की स्थिती में ही यह अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 25 सितम्बर 2020 से 24 सितम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा :—

1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्तें, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6 विद्यालय में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने की दशा में कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर, अन्य लैब में 02 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर तथा 04 अदद सैण्ड बकेट का प्राविधान आवश्यक होगा। जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर एवं 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म में रखने की व्यवस्था की जाय।

वंश बहादुर यादव
मुख्य अग्निशमन अधिकारी